Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 154-2025/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 2 सितम्बर, 2025
(11 भाद्रपद, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 70/के०अ० 6/1974/धा० 64/2025, दिनांक 2 सितम्बर, 2025– हरियाणा (जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) संशोधन नियम, 2025.	3043—3044
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 71/के०अ० 29/1986/धा0 5 तथा 7/2025, दिनांक 2 सितम्बर, 2025– स्टोन क्रशरों के स्थल निर्धारण मानकों और उत्सर्जन मानकों तथा प्रदूषण नियंत्रण उपायों की अपेक्षाओं के बारे में स्टोन क्रशरों की स्थापना करने बारे।	3045—3052
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 सितम्बर, 2025

संख्या का०आ० 70/के०अ० 6/1974/धा० 64/2025.– जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 6) की धारा 64 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से परामर्श के बाद, इसके द्वारा, हरियाणा (जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) नियम, 1978 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) ये नियम हरियाणा (जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) संशोधन नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा (जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) नियम, 1978 (जिन्हे, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 35 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"35. सरकारी विश्लेषक/बोर्ड के विश्लेषक की अर्हताएं। धारा 53(2) तथा (3).–सरकारी विश्लेषक/बोर्ड का विश्लेषक ऐसा व्यक्ति होगा जो, –

(क) इस नियम के प्रयोजनों हेतु, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी, विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान, जैव–रसायन, ओद्योगिकी रसायन इंजीनियरिंग या चिकित्सा–शास्त्र सहित विज्ञान की किसी शाखा में स्नातक हो; और

(ख) प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या सरकार के स्वामित्व वाली प्रयोगशाला में कम से कम तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव रखता हो।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 35 क का लोप कर दिया जाएगा।

आनंद मोहन शरन,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT FOREST AND WILDLIFE DEPARTMENT

Notification

The 2nd September, 2025

No. S.O. 70/C.A.6/1974/S.64/2025.— In exercise of the powers conferred under section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act 6 of 1974), the Governor of Haryana, after consulting the Haryana State Pollution Control Board, hereby makes the following rules further to amend the Haryana (Prevention and Control of Water Pollution) Rules, 1978, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana (Prevention and Control of Water Pollution) Amendment Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force from date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana (Prevention and Control of Water Pollution) Rules, 1978, (hereinafter called the said rules), for rule 35, the following rule shall be substituted, namely:-

"35. Qualification of Government Analyst/Board Analyst. Section 53 (2) and (3).— A Government Analyst/ Board Analyst shall be a person who-

(a) is a graduate of University recognized by the Government for the purposes of this rule in any branch of science including Chemistry, Bio-Chemistry, Industrial Chemistry Engineering or Medicine; and

(b) has practical experience of not less then three years in a Pollution Control Board/ Public Sector Undertaking or Government owned laboratory.".

3. In the said rules, rule 35 A shall be omitted.

ANAND MOHAN SHARAN,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Environment, Forest and Wildlife Department.

12082—L.R.—H.G.P., Pkl.